तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **नरेन्द्र राम बेड़ा बनाम लो.सू.अ.(जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 247/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-08-2022	अपीलार्थी नरेन्द्रराम बेड़ा पुत्र पोकरराम निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.04.2022 में (1) जोधपुर जिले के सभी जनपदों में संचालित सरकारी उचित मूल्य की कुछ दूकानों का ब्लॉकवार निरीक्षण आर.टी.आई. कानून की धारा 2(1)(1) के तहत विहित सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में कराये जाने व अन्य बिन्दुओं,, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर अपील खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति विभाग सचिवालय जोधपुर को पेश हुई। खाद्य, एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के पत्रांकःप्रथम अपील सं0 50/2022 दिनांक 29.06.22 के जरिये इस कार्यालय को स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से जरिये पत्रांक 559 दिनांक 02.08.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना(बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2च में परिभाषित नहीं है एवं राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3(22)प्रसू/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। रिपोर्ट में इस संबंध में प्रार्थी को पत्रांक रसद/जो.।।/सू.अ. 2022/558 दिनांक 28.07.2022 को सूचित कर दिया गया, बताया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नियत अवधि में कार्यवाही नहीं कर अपील दायर करने के पश्चात् सूचित किया गया, जो अत्यन्त खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विधिक प्रावधानों के तहत नियत अवधि में करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	